राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–981 / 2011 / श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–ए,
श्रीगंगानगर। ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स महिपाल फूड एण्ड गम इण्डस्ट्रीज,
20, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री एस. एम. पेडीवाल
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 192 / आरवैट / श्रीगंगानगर / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 83 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2009 में रिवर्स टैक्स 2,27,628 / – रूपये, शास्ति 4,55,260 / – रूपये एवं ब्याज 65,996 / – रूपये अपास्त करते हुए देरी से क्लेम की गई अस्वीकृत आई.टी.सी. राशि रूपये 16,646 / – को अपास्त करते हुए आई.टी.सी. राशि रूपये 16,646 / – स्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी–व्यवहारी द्वारा कच्चे माल के रूप में ग्वार प्रयुक्त किया जाता है तथा निर्मित माल ग्वार दाल, ग्वार चूरी व ग्वार कोरमा है जिनमें से ग्वार चूरी व ग्वार कोरमा कर मुक्त माल के रूप में बेची जाती है। कर निर्धारण वित्तीय वर्ष 01.09.2006 से 31.03.2007 के दौरान व्यवहारी ने कुल खरीद में से प्रयुक्त ग्वार रूपये 2,29,92,735 / – की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि रूपये 9,78,891 / – का क्लेम किया। सशक्त अधिकारी

2m

लगातार............2

ने पाया कि व्यवहारी द्वारा कच्चे माल के रूप में ग्वार प्रयुक्त किया जाता है तथा ग्वार व ग्वार दाल कर योग्य माल के रूप में विक्रय किया जाता है तथा ग्वार कोरमा व ग्वार चूरी कर मुक्त माल के रूप में बेची जाती है। अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अधीन कर योग्य माल के निर्माण के रूप में प्रयुक्त हुए कच्चे माल ग्वार की खरीद पर चुकाये गये वैट राशि का दावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है जबकि फर्म द्वारा आनुपातिक रूप से ग्वार चूरी व ग्वार कोरमा निर्माण में प्रयुक्त ग्वार खरीद पर चुकाये गये वैट राशि का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। इस संबंध में व्यवहारी को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। व्यवहारी ने जवाब में कहा कि कर मुक्त माल ग्वार चूरी व ग्वार कोरमा मेन प्रोसेसिंग का बाई प्रोडक्ट है। आई.टी.सी. कच्चे माल की खरीद पर ली गई है जो विधिसम्मत है। सशक्त अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2009 में यह ठहराया कि अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के अनुसार व्यवहारी विनिर्मित माल कर योग्य एवं कर मुक्त पर अनुपात के आधार पर आई.टी.सी. ले सकता है। व्यवसाई द्वारा 2,29,92,735/– रूपये की खरीद पर आई.टी.सी. रूपये 9,19,710/– रूपये लिया है जो गलत है जबकि उक्त अवधि में विनिर्माण कर योग्य माल रूपये 1,86,45,997/– रूपये एवं कर मुक्त माल ग्वार चूरी व ग्वार कोरणा रूपये 64,64,879/– पर अनुपातिक रूप से कर मुक्त माल ग्वार चूरी व ग्वार कोरमा के निर्माण में प्रयुक्त माल की खरीद पर चुकाये गये वैट राशि का टैक्स रिवर्स कर आई.टी.सी. लेना था जो कि कर योग्य माल का अनुपात 74.25 प्रतिशत एवं कर मुक्त माल का अनुपात 24.75 प्रतिशत पर टैक्स रिवर्स नहीं किये जाने से धारा 61(2) के अंतर्गत रिवर्स टैक्स रूपये 2,27,628/– रूपये व 08.02.2007 के प्रारंभिक स्टॉक रूपये 14,79,528/– पर 4 प्रतिशत की दर से रिवर्स टैक्स रूपये 59,182/– कुल 2,86,810/– रूपये निर्धारित किया तथा अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत क्रमशः 24 माह का ब्याज 80,210/– रूपये व 61(2)(बी) के अंतर्गत शास्ति 4,55,260/– रूपये आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेश दिनांक 24.03.2009 के विरूद्ध व्यवसाई द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर के समक्ष अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 23.09.2010 द्वारा अपील इस आधार पर स्वीकार की गई है कि इसके तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचना, श्रीगंगानगर बनाम मैं. दुर्गेश्वरी फूडस प्रा. लि. श्रीगंगानगर (2009) 23 टैक्स

लगातार............3

अपडेट 360 **(माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्री गंगानगर की अपील संख्या 590–591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2009)** में पारित निर्णय के समान है जिसमें कर मुक्त सह उत्पाद "चौकर" के निर्माण में गेंहू का प्रयुक्त होना मानकर आई.टी.सी. स्वीकार किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समानान्तर प्रकरण **(माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्री गंगानगर की अपील संख्या 590–591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2009)** के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टांत (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वैट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल ग्वार से निर्मित कर मुक्त माल ग्वार कोरमा की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में ग्वार की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल ग्वार कोरमा की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय कर बोर्ड के जिस निर्णय के आधार पर अपील स्वीकार की है, वह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त कथन के साथ उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी की ओर से श्री एस. एम. पेडीवाल ने उपस्थित होकर बहस करते हुए बताया कि व्यवहारी द्वारा ग्वार कर योग्य माल ग्वार दाल उत्पादन के लिए क्रय किया गया है। ग्वार कोरमा व ग्वार चूरी बाई प्रोडक्ट है जिसके रॉ

मैटेरियल पर चुकाया गया आगत कर समायोजन योग्य होना चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर रिवर्स किये गये इनपुट टैक्स का समायोजन दिया जावें। इन्होंने यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल (वैट) रिवीजन पिटिशन नंबर 47 / 2014 में स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसके तथ्य इस प्रकरण के समान है व इस प्रकार प्रकरण अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर विचाराधीन है कि माननीय अपैक्स कोर्ट का Commissioner of Central Excise, Mumbai V/s Ms National Organic Chamicals Civil Appeals No. 1130/2003 निर्णय दिनांक 06.11.2008 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CTO(A-E) Sri Ganganagar V/s Ms. Durgeshwari Food Ltd. Sri Ganganagar S.B. Civil Sel Tax Revision Petition No. 193-194/2009 निर्णय दिनांक 08.12.2011 पारित करते समय ध्यान में नहीं लाया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं हुआ है तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आधार पर कर मुक्त माल के अनुपात में इनपुट टैक्स रिवर्स किया जाना न्यायोचित नहीं है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वैट चुकाकर खरीद किये गये ग्वार का उपयोग ग्वार दाल, ग्वार कोरमा व ग्वार चूरी के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें ग्वार कोरमा व ग्वार चूरी कर मुक्त उत्पाद है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से कच्चे माल के रूप में वैट चुकाकर खरीदे गये उक्त ग्वार के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वैट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है।

8. इस संबंध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2012) 32 टैक्स अपडेट 03** के अवलोकन से स्पष्ट है कि **मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड** लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक **13.03.2009** के विरूद्ध विभाग की

लगातार............5

ओर से प्रस्तुत की गई **एस. बी. सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193–194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.2012** द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"**20.** In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely "Aata", "Maida" and "Suji" manufactured out of raw material (Wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same can not be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

9. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से इस बात की पुष्टि होती है कि आगत कर का समायोजन कर योग्य माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल के अनुसार ही स्वीकार्य है, कर मुक्त माल के उत्पादन के लिए नहीं। यदि क्रय किये गये कच्चे माल का प्रयोग कर योग्य एवं कर मुक्त माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है तब कर योग्य उत्पादित माल के अनुपात में ही आगत कर का समायोजन देय होगा।

10. जहां तक विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय अभी अंतिम नहीं है क्योंकि यह निर्णय पारित किये जाते समय माननीय अपैक्स कोर्ट का Commissioner of Central Excise, Mumbai V/s Ms National Organic Chamicals Civil Appeals No. 1130/2003 निर्णय दिनांक 06.11.2008 प्रस्तुत नहीं किया था जिसके आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल (वैट) रिवीजन पिटिशन नंबर 47/2014 विचाराधीन है, इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पारित हो जाने के पश्चात उस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य चस्पा होने पर तद्नुरूप निर्णय किया जाना विधिसम्मत है। यदि माननीय उच्च न्यायालय या अन्य माननीय

२४

लगातार............6

अपेक्स कोर्ट में कोई प्रकरण विचाराधीन है जिसके तथ्य समान है तो निर्णय उपरांत तद्नुसार धारा 26 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

11. उपरोक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23.09.2010 रिवर्स टैक्स 2,27,628/– रूपये, ब्याज 65,996/– रूपये को अपास्त करने की सीमा तक अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश रिवर्स टैक्स व ब्याज के बिन्दु पर रेस्टोर किया जाकर रिवर्स टैक्स राशि रूपये 2,27,628/– रूपये व ब्याज राशि रूपये 65,996/– यथावत रखी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.2011 के प्रकाश में शास्ति राशि रूपये 4,55,260/– रूपये की सीमा तक अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए शास्ति की सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाकर शास्ति राशि रूपये 4,55,260/– रूपये अपास्त की जाती है। चूंकि प्रकरण में अस्वीकृत आई.टी.सी. 16,646/– रूपये के संबंध में अपीलार्थी की ओर से कोई बिन्दु नहीं उठाया गया है, अतः अपीलीय अधिकारी का अस्वीकृत आई.टी.सी. 16,646/– रूपये को स्वीकृत करने का आदेश यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थू राम)
सदस्य